

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।




सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(a) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-13/2019-20

—: आदेश :—

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
<p>08/07/2020</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>विक्रेता 1. कामेश्वर मांझी, 2. मिहीलाल सोरेन, 3. बिनोद सोरेन, 4. सुधन सोरेन, पिता-स्व0 भरत मांझी, जाति-संथाल, ग्राम-सतनपुर, टोला-संथालडीह, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-सतनपुर, थाना नं0-39 के खाता संख्या-62, प्लॉट नं0-582, रकवा-0.17 एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 556/भू0सु0, दिनांक 23.09.2019 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1813 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान बुधन बाउरी दीगर के नाम से दर्ज है। 2. (क). विक्रेता ग्राम-सतनपुर, टोला-संथालडीह, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के हैं। (ख). क्रेता ग्राम-सतनपुर, टोला-संथालडीह, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के हैं। 3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों जाति के संथाल हैं, जो अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात खरीदगी भूमि में 1.86 डी0 एवं खाता नं0 20 में 1.50 एकड़ भूमि शेष बचता है। 5. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खरीदगी द्वारा प्राप्त है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का जमाबंदी पंजी-11 के थोका संख्या-278 में कायम है एवं वर्ष 2016-17 तक रसीद निर्गत है। 8. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है। 9. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है। 10. बिक्री की जाने वाली भूमि का किरम-टांड है। 11. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा-सतनपुर, के खाता संख्या-62, प्लॉट नं0-582, रकवा-0.17 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। 	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	<p>विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JHRC/2018/1396496 - DATE 12.06.2019 2. JHRC/2018/1271371 - DATE 30.04.2019 3. JHRC/2018/1075758 - DATE 19.02.2019 4. JHRC/2018/1261926 - DATE 30.04.2019 एवं <p>क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र-JHRC/2019/946102 दिनांक 19.12.2019 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(a) के तहत विक्रेता 1. कामेश्वर मांझी, 2. मिहीलाल सोरेन, 3. बिनोद सोरेन, 4. सुधन सोरेन, पिता-स्व० भरत मांझी, जाति-संथाल, ग्राम-सतनपुर, टोला-संथालडीह थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-सतनपुर, थाना नं०-39 के खाता संख्या-62, प्लॉट नं०-582, रकबा-0.17 एकड़ भूमि क्रेता सुसमिता देवी, पति-महेश्वर मांझी, जाति-संथाल, ग्राम-सतनपुर, टोला-संथालडीह, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को बिक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।</p>	<p></p>